आदेश	कार्यवाही विवरण
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार अभिभाषक के अधिवक्ता [illegible] विद्वान अभिभाषक के अनुसार अंतिम निर्णय पारित किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 16/6/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)
16/6/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उप. पत्रावली का अवलोकन व पक्षकार अभिभाषक पर मनन किया गया। अभिभाषक द्वारा वि.प्र. पर सहमति होने से वाद वादी अनुसार वि.प्र. अनुसार स्वीकार किया जाता उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद - वादी अनुविद्ध वि.प्र. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से टंकित होकर शामिल निशान पत्रावली नम्बर से कम होकर शामिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)